जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल जिला सिवनी

सुदाना परिवहन की दर आमंत्रण हेतु ई–निविदा

–::– निविदा प्रपत्र –::–

वर्ष 2024–26

(इकाई– जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर)

दूरभाष क्र0 9399852009

E- Mail : cff.bandol@gmail.com

(कुल पृष्ठ संख्या :12)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

–: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :–

सुदाना परिवहन

S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	14.06.2024/01.00 PM
2	Purchase of Tender End Date	04.07.2024/01.00 PM
3	Bid Submission End Date	04.07.2024/01.00 PM
4	Mandatory Submission (Envelop - A) Open Date	05.07.2024/01.00 PM
5	Financial Bid (Envelop - C) Open Date	-----------

निविदा खोलने का स्थान :– पशु आहार संयंत्र–बण्डोल, सिवनी (म.प्र.)

अमानत राशि :– रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का भुगतान ऑन–लाईन ही किया जाना है। अर्नेस्ट मनी शासन की बेबसाईट **www.mptenders.gov.in** में ऑन–लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे।

प्रतिभूति राशि :– रूपये 5,00,000/–(रूपये पाँच लाख मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **CATTLE FEED FACTORY BANDOL SEONI** के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रभारी महाप्रबंधक

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

–: पशु आहार परिवहन की शर्ते :–

1. पशु आहार, सुदाना परिवहन निविदा की दरें ई–निविदा के माध्यम से आनलाईन प्राईस बिड से ही स्वीकार होगीं।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें ''रूपया प्रति मी.टन''(One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा एवं परिवहन निविदाकर्ता को रू. 1000/– का स्टाम्प पेपर प.आ.संयंत्र–बण्डोल को प्रदाय कर दर स्वीकृति संबंधी आदेश दिये जाने की दिनांक से 15 दिवस की समय–सीमा में अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा
5. साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहता हैं, इसके पश्चात् ट्रक दूसरे दिन ही भरे जावेगें ।
6. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/संयंत्रो पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता ठेकेदार का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय परिवहनकर्ता ठेकेदार को मान्य करना बंधनकारी होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता ठेकेदार को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा। निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप (विल्टी) जिस पर गंतव्य स्थान गाडी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन परिवहनकर्ता ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खडा नही किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते है तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता ठेकेदार का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नही करेगा।
8. यदि परिवहनकर्ता ठेकेदार स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नही होते है तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता ठेकेदार पर रु0 1000/– (रु0 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। साथ ही वाहन की आवश्यक्ता अनुसार आदेश उपरांत 24 घंटे के अंदर वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा वाहन उपलब्ध कराने में विलंब की दशा में 2000/– प्रति दिवस का अर्थ दंड लगाया जावेगा अथवा अतिआवश्यक होने पर बाजार से वाहन बाजार भाव पर लगा लिया जावेगा जिसके अंतर की राशि परिवहनकर्ता को वहन करनी होगी।

9. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुंचने में लगता है। विलंब की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी।
10. अगर परिवहनकर्ता ठेकेदार के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता ठेकेदार के वाहन में खराबी का कारण, वाहन का स्थान जहॉ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध शीत केन्द्र/संयंत्र/समिति/संस्था तक पहुंच जावेगा इसकी जानकारी संबंधी पत्र ई–मेल/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनिवार्यतः कार्यालय में देना होगी।
11. परिवहनकर्ता ठेकेदार के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं के **तीन वाहन (ट्रक)** होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज जो कि 09 मी.टन तथा इससे अधिक भार क्षमता के होगें निविदा के साथ पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो निविदा अयोग्य मानी जावेगी। उक्त दस्तावेज की मूलप्रति निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
12. पशु आहार संयंत्र–बण्डोल व्दारा सामान्यतः 20–25 मी.टन साथ ही कभी–कभी 09 मी.टन परिवहन कराया जाता है। अतः सफल परिवहनकर्ता ठेकेदार को मांगानुसार क्षमता के वाहन परिवहन कार्य हेतु प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
13. परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये। पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने–कटने की दशा में परिवहनकर्ता ठेकेदार को नुकसान का वहन करना होगा।
14. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों/अन्य संस्थाओं के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबावदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीतकेन्द्र/अन्य संस्थाओं द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा । कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 2000/–(रूपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में आधिक्य भुगतान की राशि परिवहनकर्ता ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
16. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना/कॉफ स्टार्टर/मिनरल मिक्सचर, में किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
17. पशु आहार संयंत्र से यदि **दो** बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य परिवहनकर्ता ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. दुग्ध शीत केन्द्रों/संयंत्रो आदि से सुदाना की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य सुदाना की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।
19. परिवहनकर्ता ठेकेदार 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र बण्डोल, सिवनी कार्यालय में भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करों का कटौत्रा कर किया जावेगा। देयकों का भुगतान देयक प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की समय–सीमा में किया जावेगा। यदि परिवहन

परिवहनकर्ता ठेकेदार व्दारा निविदा में वर्णित विधि अनुसार तथा वांछित दस्तावेज सहित देयक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो देयकों के विलंब से भुगतान हेतु परिवहनकर्ता ठेकेदार स्वयं जबाबदार होगें।

20. अनुबंध की अवधि सामान्यतः **तीन वर्ष** की होगी तदापि परिवहनकर्ता ठेकेदार का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर एक एक कर 02 वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी। अगला ठेका न होने की स्थिति में 03 माह की समय वृध्दि करना प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में होगा।

21. पशु आहार संयंत्र–बंडोल से निर्धारित गंतव्य स्थान तक लोडिंग व अनलोडिंग तथा अन्य व्यय परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। इसका किसी भी दशा में भुगतान संघ/बी.एम.सी./समिति द्वारा नहीं किया जावेगा।

22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्व सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी।

23. परिवहनकर्ता ठेकेदार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए। यदि वाहन चालक की असावधानी से संयंत्र की संपतियों व कार्यरत कर्मचारियों आदि की जान–माल की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व परिवहन परिवहनकर्ता ठेकेदार का होगा तथा हानि की राशि परिवहनकर्ता ठेकेदार से वसूली की जायेगी।

24. किसी भी प्रकार में सामग्री/ सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुशार कार्यवाही की जा सकेगी।

25. परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तो का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता ठेकेदार की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

26. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का भुगतान ऑन–लाईन ही किया जाना है। अर्नेस्ट मनी शासन की बेबसाईट **www.mptenders.gov.in** में ऑन–लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। विभाग में जमा अर्नेस्ट मनी पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

27. ई–निविदा ऑन–लाईन शासन की बेबसाईट **www.mptenders.gov.in** में ही प्रस्तुत की जानी है। निविदाकर्ता व्दारा दर प्रस्ताव ऑनलाईन ही निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। भौतिक रूप से दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर निविदा अमान्य मानी जावेगी।

28. ई–निविदा ऑन–लाईन प्रस्तुत करने के साथ ही निविदाकर्ता को निम्नानुसार दस्तावेज आदि भौतिक रूप से एक बड़े लिफाफे में रख कर निविदा जमा करने की दी गई अंतिम तिथि व समय तक भौतिक रूप से कार्यालय पशु आहार संयंत्र–बण्डोल जिला–सिवनी में कार्यालयीन दिवसों में जमा करना अनिवार्य हैः–

I. आर.टी.ओ. संबंधी वांछित दस्तावेज कंडिका(11) अनुसार – एक लिफाफा में।

II. निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति (प्रत्येक पृष्ठ पर) – एक लिफाफा में।

(नोट :– उपरोक्त बिन्दु क्रं. (I)- (II) तक वर्णित लिफाफों में रखे गये दस्तावेज के विवरण प्रत्येक लिफाफे के उपर लिखे जावें प्रेषक के नाम सहित इसी प्रकार दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर लिफाफे के उपर निविदा का विवरण प्रेषक का विवरण तथा प्रति, प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र–बण्डोल, जिला–सिवनी लिखा जाना है)

29. भौतिक रूप से बिन्दु क्रं. 28 में वर्णित अनुसार निविदाकार निर्धारित दिनांक व समय तक पशु आहार संयंत्र कार्यालय बण्डोल, जिला–सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक से प्रेषित कर सकते हैं। इस प्रकार की भौतिक निविदा डाक से भेजे जाने पर विलंब हेतु विभाग जबाबदार नहीं होगा।

30. निर्धारित निविदा प्रपत्र ऑन–लाईन शासन की बेबसाईट www.mptenders.gov.in से निर्धारित दिनांक व समय तक क्रय किये जा सकते हैं। निविदा में वर्णित नियम व शर्तों हेतु निविदा प्रपत्र मात्र पठन हेतु एमपीसीडीएफ की बेबसाईट http://www.sanchijabalpur.com के फोल्डर – ''निविदाएं'' – ''पशु आहार संयंत्र–बण्डोल'' में भी उपलब्ध है।

31. निविदाकर्ता जो कि एमपीसीडीएफ के अंतर्गत दुग्ध संघ व पशु आहार संयंत्रों के व्दारा कालीसूची में दर्ज किये गये हैं, वह निविदा हेतु अयोग्य माने जावेगें तथा निविदाकर्ता को निविदा के साथ रू. 50 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र (नोटराईज) प्रस्तुत करना होगा कि **''निविदाकर्ता का नाम एमपीसीडीएफ के अंतर्गत दुग्ध संघों व पशु आहार संयंत्रों व्दारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है तथा यदि ऐसा पाया जाता है कि उसके व्दारा असत्य जानकारी दी गई है, तो निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावे।''**

32. निविदा स्वीकृत होने की दिनांक से निर्धारित समय–सीमा 07 दिवस में प्रतिभूति राशि रू. 5,00,000/– डी.डी. व्दारा जमा करना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि में अर्नेस्ट मनी समायोजित की जा सकेगी। विभाग में जमा प्रतिभूति राशि में किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। पूर्व में या जिन परिवहनकर्ता ठेकेदारों द्वारा दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है, उन्हें अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी, पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नही की जावेगी।

33. परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्ते लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।

34. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म ''भारतीय भागीदार अधिनियम'' के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।

35. ठेका समाप्त होने पर परिवहनकर्ता ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। परिवहनकर्ता ठेकेदार व्दारा अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत 60 दिवस की समय–सीमा में परिवहनकर्ता ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी।

36. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0 लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01	ट्रक,	04 कि.मी

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

37. परिवहनकर्ता ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।

38. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा । निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर परिवहनकर्ता ठेकेदार के देयको से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधारपर कटौत्रा किया जावेगा।

39.(I) **परिवहनकर्ता ठेकेदार के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, जी.एस.टी. तथा समय–समय पर लगाये जाने वाले करों का कटौत्रा नियमानुसार परिवहन देयकों से किया जावेगा। परिवहनकर्ता व्दारा प्रस्तुत निविदा दर में G.S.T. सम्मिलित नहीं होगी। परिवहन पर G.S.T. लागू होने की दशा में परिवहनकर्ता यदि G.S.T. राशि देयक में चार्ज करेगा तो उसे G.S.T. का भुगतान अतिरिक्त रूप से किया जावेगा, परन्तु परिवहनकर्ता व्दारा G.S.T. का भुगतान शासकीय खाते में जमा कर चालान दुग्ध संघ/पशु आहार को प्रस्तुत करना होगा।**

39.**(II)** **परिवहनकर्ता व्दारा PAN नम्बर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगा तथा PAN नम्बर उपलब्ध नहीं कराने की दशा में 20% आयकर का कटौत्रा संबंधित परिवहनकर्ता के देयकों से किया जावेगा।**

40. संयंत्र में भरने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर–ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।

41. सुदाना भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता ठेकेदार/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगें।

42. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्तो का पालन नही किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पशु आहार संयंत्र बण्डोल द्वारा पत्रों से सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता ठेकेदार को काली सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा।

43. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता ठेकेदार जबावदार होगा।

44. समस्त अदालती विवाद सिवनी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सह. दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

पशु आहार संयंत्र बण्डोल (सिवनी) से विभिन्न स्थानों पर पशु आहार भेजे जाने के लिये परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा दौ वर्ष के परिवहन के लिए भरी जाने वाली दरें (रूपये प्रति मैट्रिक टन) इस प्रपत्र में दी जाना है।

दुग्ध शीत केन्द्रों/बी.एम.सी. की सूची

पषु आहार संयंत्र बण्डोल से आपूर्ति किये जाने वाले स्थानों की सूची				
क्रं	समिति का नाम	किमी. अनुमानित दूरी	दर रूपये प्रति मैट्रिक टन (लोडिंग व अनलोडिंग तथा अन्य व्यय सहित)	
			अंको में	शब्दों में
1	बैतुल	229	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
2	मुलताई	179	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
3	सागर	248	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
4	रतौना (सागर)	254	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
5	टीकमगढ़	373	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
6	मिनौरा (टीकमगढ़)	379	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
7	जतारा	411	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
8	दतिया	252	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
9	दबोह	542	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
10	बामौर (मुरैना)	594	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
11	छिंदवाड़ा	86	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
12	इमलीखेड़ा छिंदवाड़ा	94	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
13	बरेली	232	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
14	सिवनी	18	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
15	सतना	331	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
16	रीवा	356	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
17	अमरपाटन	312	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
18	बालाघाट	103	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
19	गढ़ी (बालाघाट)	181	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
20	दमोह	189	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
21	पन्ना	340	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
22	अजयगढ़	373	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
23	जबलपुर	129	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
24	नरसिंहपुर	110	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।

25	शहडोल	331	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
26	सीधी	436	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
27	चाकघाट (रीवा से 46)	441	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
28	सिरमौर (रीवा से 41)	395	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
29	मउगंज (रीवा से 65)	421	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
30	बुढवा (शहडोल से 40)	376	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
31	हट्टा व्हाया जबलपुर	265	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
32	तेन्दुखेड़ा	168	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
33	छतरपुर व्हाया जबलपुर	376	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
34	राजनगर व्हाया जबलपुर	406	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
35	रामपुर नेकिन	391	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
36	सिंगरौली	529	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
37	मझौंली	174	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
38	अमरवाड़ा	46	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
39	मण्डला	121	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
40	लखनादौन	45	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
41	रायपुर	120	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
42	नागपुर	347	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
43	उमरिया	144	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
44	कटनी	190	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
45	पआसं. पचामा	379	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
46	पआसं. मांगलिया	503	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
47	पआसं. सागर	249	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
48	पआसं. शिवपुरी	550	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
49	अनूपपुर	351	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
50	केवलारी	65	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
51	मैहर	291	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
52	चित्रकूट	407	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
53	मझंगवां	372	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
54	अमरकंटक	314	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
55	नागौद	339	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।

56	उच्छेरा	305	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
57	बुट्टीबोरी (महाराष्ट्र)	200	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
58	धनौली (महाराष्ट्र)	210	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
59	कारला (महाराष्ट्र)	340	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
60	अमरावती (महाराष्ट्र)	300	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
61	अकोला (महाराष्ट्र)	400	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
62	वर्धा (महाराष्ट्र)	223	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
63	बुलढ़ाना	500	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
64	परतवाड़ा	300	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
65	नांदेड़	487	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
66	चंद्रपुर	310	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
67	बदनापुर (जालना)	577	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
68	कालम (औसमानाबाद)	756	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
69	अहमदपुर (लातुर)	660	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
70	लातुर	600	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
71	घूरवाड़ा (धूमा)	63	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
72	धनौरा	75	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
73	घंसौर	82	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
74	बरघाट	37	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
75	उगली	90	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
76	वारा सिवनी	106	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
77	कंटगी	75	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
78	बिछुआ	89	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
79	पाण्डुर्णा	175	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
80	वरूड (नागपुर)	213	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
81	परासिया	112	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
82	विजयराधोगढ़	256	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
83	कैलवारा (कटनी)	225	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
84	ताली रोहनिया तह. बरही कटनी	285	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
85	बिजुरी (व्यहा मंडला)	362	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
86	सौंसर	141	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।

87	डिंडोरी	233	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
88	शहपुरा	207	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
89	मुकुंदपुर (रीवा)	354	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
90	बसामनमामा (रीवा)	383	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
91	नारायणपुर (रौंद) सतना	363	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
92	रामपुर बघेलान (सतना)	343	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
93	रामनगर (सतना)	356	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
94	सरभंगा (सतना)	380	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
95	कुरई (सिवनी)	50	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
96	जोगा (महाराष्ट्र)	170	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
97	लालबर्रा	80	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
98	नागरधन (महाराष्ट्र)	110	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
99	अरोली (महाराष्ट्र)	123	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
100	निहारवानी (महाराष्ट्र)	147	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
101	सिंधी (महाराष्ट्र)	200	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
102	सेलू (महाराष्ट्र)	215	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
103	गंगाझिरी (महाराष्ट्र)	140	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
104	बोरगांव (महाराष्ट्र)	156	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
105	नरसिंघी (महाराष्ट्र)	209	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
106	जाम (महाराष्ट्र)	211	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
107	कलमेश्वर (महाराष्ट्र)	166	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
108	कारंजा (महाराष्ट्र)	223	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
109	आरवी (महाराष्ट्र)	248	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
110	सारंगबिहरी (महाराष्ट्र)	96	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
111	मानधर (महाराष्ट्र)	170	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
112	कोण्डाली (महाराष्ट्र)	192	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
113	हट्टा (म.प्र)	119	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
114	रावनवाड़ी (महाराष्ट्र)	172	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
115	गोरेगांव (महाराष्ट्र)	160	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
116	अर्जुनी (महाराष्ट्र)	221	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।

117	बोरकंहार (महाराष्ट्र)	156	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
118	तुमसर	117	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।
119	साकोली	169	—	दरें ऑनलाईन प्राईस बिड में ही भरें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

अनुलग्नक — द.

पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी/दुग्ध समितियों एवं शासकीय संस्थाओं हेतु सुदाना परिवहन की दरें परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा पृष्ठ क्रमांक 8 एवं 9 में दी जाना है

हमें/मुझे निविदा (टेण्डर) एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्ते मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूं। ये भाव पशु आहार संयंत्र बण्डोल (सिवनी) से उपरोक्त दर्शायें गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये है।

हस्ताक्षर ________________________________

नाम ________________________________

____

पता ________________________________